बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं.सं.–5/विविध–29/2011 (खंड)– 1072(5)/स्वा०, पटना, दिनांक– 31/8/12

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यो के सुचारू एवं त्वरित निष्पादन के आलोक में सचिवालय अनुदेश के नियम 1.3 के तहत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत राज्य चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग, राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग एवं राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग के सभी कोटि के चिकित्सकों के सेवान्त दावों की स्वीकृति/ सेवा विनियमितीकरण/ विविध प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति/ पासपोर्ट निर्माण एवं निजी खर्च पर विदेश यात्रा के क्रम में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/ विविध साक्षात्कारों एवं परीक्षाओं हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि की स्वीकृति से संबंधित कार्यो के निष्पादन के क्रम में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन सचिव, परिवार कल्याण को अगले आदेश तक किया जाता है।

2– सचिव, परिवार कल्याण इन चिकित्सकों के उपरोक्त कार्यो का निष्पादन इनके नियंत्री प्राधिकार (उचित माध्यम) से आवश्यक प्रस्ताव (अनुलग्नक सहित) विहित तरीके से अग्रसारण पत्र के माध्यम से आवश्यक अनुशंसा/मंतव्य प्राप्त होने के पश्चात् ही करगें।

3– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

31/8/12
(व्यास जी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 1072(5) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 31/8/12

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/12
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 1072(5) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 31/8/12

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, परिवार कल्याण/ अपर सचिव/ निदेशक प्रमुख/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी अवर सचिव/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/ लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/12
सरकार के प्रधान सचिव।